

कमांक 3484002/पार्ट-सी/2020
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल -462003
दूरभाष 2552646, 2552878, फ़ैक्स 2552406
EMAIL ID: encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 12/ 05/2020

प्रति,

1.समस्त मुख्य अभियंता

.....
जल संसाधन विभाग

2.संचालक

जल आंकड़ा केन्द्र,
जल संसाधन विभाग, भोपाल ।

विषय:-वर्षाकाल के दौरान नाला क्लोजर कार्यों की निगरानी हेतु दिशा-निर्देश ।

सन्दर्भ:-कार्यालयीन निर्देश पत्र क्रं.3484002/पार्ट-बी/2018 भोपाल, दिनांक 09.05.19

आप भली भांति अवगत हैं कि, नाला क्लोजर कार्यों की वर्षाकाल में सतत् निगरानी किया जाना नितांत आवश्यक है। इस हेतु इस कार्यालय द्वारा उक्त संदर्भ के पत्र से निर्देश जारी किये गये हैं । जिसकी निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि, आप अपने स्तर से निम्नानुसार अत्यावश्यक कार्यवाही हेतु मैदानी अधिकारियों को निर्देशित करें :-

1. प्रत्येक बांध पर 24 घंटे न्यूनतम एक कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें ।
2. बांध पर कार्यरत ठेकेदार से पर्याप्त मात्रा में रेत से भरी बोरियाँ एकत्रित करवायें, यदि ठेकेदार द्वारा आपके निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो स्वयं यह एकत्रीकरण करवायें जिसकी राशि ठेकेदार को देय राशि से काटी जावे ।
3. बांध के डूब क्षेत्र का भी निरीक्षण करा लिया जावे एवं यदि कोई अनाधिकृत निर्माण आदि की स्थिति हो तो उसे वर्षाकाल के पूर्व हटाने की कार्यवाही कर ली जावे ।
4. टैंक गेज रजिस्टर बनायें, जिसमें प्रत्येक दिन का टैंक गेज एवं रेन गेज (एक मिलियन घनमीटर से अधिक भराव के बाँधों पर) एवं वर्षा दर्ज करें। उपयंत्री प्रत्येक दिवस एस.एम.एस. के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी/कार्यपालन यंत्री को सूचित करें ।
5. प्रत्येक बांध पर जल स्तर 1/3 से अधिक होने पर उपयंत्री बांध के एक छोर से दूसरे छोर तक बाँध की डाउन स्ट्रीम टो पर सीपेज ड्रेन के किनारे-किनारे प्रतिदिन भ्रमण करें तथा वापसी में बाँध की सर्विस रोड से लौटें ।

6. बाँध के Downstream slope या Downstream Toe के किसी स्थान पर यदि रिसाव दृष्टिगोचर होता है तो फिल्टर लोडिंग करें। रिसाव के स्थान से चारों ओर दो मीटर की परिधि में पहले 30 से.मी. रेत, उसके ऊपर 30 से.मी. गिट्टी तथा उसके ऊपर 60 से.मी. में या उससे अधिक मोटाई में बोल्टर रखें।
7. स्पिलवे की एप्रोच चैनल एवं स्पिल चैनल को पूर्णतः साफ रखें। पूर्ण लम्बाई में बाँध के डाउन स्ट्रीम में मुख्य नाला एवं अन्य नालें जो 100 मीटर डाऊन स्ट्रीम तक हों, नाला बैड में होने वाली बाँयलिंग तथा किसी असामान्य गतिविधियों पर सतत निगाह रखें।
8. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 7.019 में निर्देशित है कि जहाँ तक संभव हो नदीन जलाशय को प्रथम वर्ष बाँध के नाला स्तर से 1/3 ऊँचाई से अधिक नहीं भरना चाहिए। अतः जल स्तर को प्रारंभ में एल.एस.एल. पर ही रखने का प्रयास करें। सितम्बर के अंतिम सप्ताह में स्लूस्गेट बंद करके इसे निर्धारित स्तर पर भरने का प्रयास करें। पानी की आवक अधिक होने की स्थिति में नहर को एफ.एस.एल. तक चलाकर एस्केप से पानी की निकासी करायें।
9. बाँध पर आपात स्थिति (आकस्मिकता) से निपटने के लिए कम से कम पांच दैनिक वेतन भोगी कर्मी को औजार, संयंत्र एवं आवश्यक सामग्री (रेत, गिट्टी, बोल्टर) के साथ तैयार रहने हेतु निर्देशित करें। चार गैस पेट्रोमैक्स भी तैयार रखें, ताकि रात्रि में आवश्यकता पड़ने पर कार्य सुचारु रूप से किया जा सकें।
10. उपयंत्री की सहायता हेतु एक स्थल सहायक तथा एक चौकीदार तैनात किया जावे।
11. आपातकालीन स्थिति (आकस्मिकता) में अनुविभागीय अधिकारी कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 8.004 में दिये निर्देशानुसार जिला कलेक्टर को संभावित क्षति तथा प्रभावित क्षेत्र की जानकारी देंगे, जिससे राहत हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जा सके तथा निचले क्षेत्र के निवासियों को सूचित किया जा सकें। अनुविभागीय अधिकारी, संभाग के कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री को तुरन्त सूचना देंगे।
12. सर्विस रोड, केनाल स्केप की सतत निगरानी भी सुनिश्चित करें ताकि आकस्मिक क्षति से बचा जा सकें।
13. जिले के महत्वपूर्ण अधिकारियों के फोन नम्बर, एवं मोबाईल क्रमांक आदि सुलभ संदर्भ हेतु सदैव बाँध स्थल पर उपलब्ध रखें।
14. जलाशय में अधिक जल स्तर होने पर किसी भी अनुविभागीय अधिकारी, उपयंत्री अथवा अन्य कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत नहीं करें। उनका बांध स्थल पर सदैव उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें।
15. उपयंत्री, अमीन, स्थल सहायक, चौकीदार आदि का ड्यूटी चार्ट कार्यपालन यंत्री अपने स्तर से तैयार करके सबको देते हुए उसकी एक प्रति अधीक्षण यंत्री को भी प्रेषित करें।
16. श्रमिकों के नियोजन की यदि विभागीय स्तर पर आपातकालीन आवश्यकता होती है तो तत्काल नियमानुसार श्रमिक नियोजित करें तथा प्रथम दिन की सम्पूर्ण जानकारी विशेष वाहक से उसी दिन मुख्य अभियंता को उपलब्ध करायें।

17. मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिकी समस्त बांध/बैराज आदि के गेट्स की रबर सील की जांच अपने स्तर पर कराना सुनिश्चित करें एवं गेट संचालन की ओके रिपोर्ट वर्षाकाल प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त कर लें।

18. 50 मिलियन घनमीटर या उससे अधिक उपयोगी जलभराव क्षमता के निर्मित एवं निर्माणाधीन जलाशयों में संबंधित कार्यपालन यंत्री (सिविल) एवं कार्यपालन यंत्री (वि./याँ.) वर्षा पूर्व एक बार संयुक्त निरीक्षण कर बाँध के आवश्यक मापक यंत्रों जैसे रेडियलगेट्स व स्लूस गेट्स एवं जलस्तर मापक आदि का संयुक्त निरीक्षण कर उनके संचालन से आश्वस्त हों, साथ ही बांध स्थल पर आवश्यक रजिस्टर कार्यपालन यंत्री के हस्ताक्षर से जारी कर रखे जाकर नियमित रूप से उसमें इन्द्राज किये जावें।

19. बाँध के स्लूसगेट के संचालन में समस्या होने पर संबंधित कार्यपालन यंत्री (वि./याँ.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (वि./याँ.) को संचालन/मरम्मत हेतु अवगत करवाया जाकर संचालन सुनिश्चित करें। वर्षाकाल में तालाब में जलस्तर एफ.आर.एल. पर होने पर भी आकस्मिक रूप से गेट संचालन की समस्या आने पर (वि./याँ.) अधिकारी/कर्मचारी समाधान हेतु आवश्यक तैयारी रखें।

20. 1000 वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक जलग्रहण क्षेत्र के बैराज अथवा वियर के स्कावरिंग स्लूस, हैड स्लूस एवं स्पिलवे गेट का कार्यपालन यंत्री (सिविल) एवं कार्यपालन यंत्री (वि./याँ.) संयुक्त निरीक्षण करेंगे।

(श्रीकांत दाण्डेकर)

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 3484002/पार्ट-सी/2020

भोपाल, दिनांक 12/05/2020

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

(श्रीकांत दाण्डेकर)

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
भोपाल (म.प्र.)